षोडश बिहार विधान सभा

चतुर्दश सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या-03 मंगलवार, दिनांक-26 नवम्बर, 2019 ई० ।

माननीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई ।

समय : 11.00 बजे पूर्वाह्न से 11.10 बजे पूर्वाह्न तक ।

[1] **आसन का संबोधन :-**

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अपने संबोधन में सदन को अवगत कराया गया कि आज संविधान दिवस है । आज से 70 वर्ष पूर्व हमने अपने संविधान को अंगीकृत किया था । आप अवगत हैं कि पूरे विश्व में भारत के संविधान की अलग पहचान है । यह विस्तृत होने के साथ ही संपूर्ण देश की जनता की आकांक्षाओं का प्रतीक है ।

इस सदन के गठन से लेकर हमारा, आपका, सबका निर्वाचन भी इसी संविधान की देन है । भविष्य में भी भारत की प्रजातांत्रिक यात्रा में यह संविधान हमारा मार्गदर्शन करता रहे इसी भावना के साथ मैं आपके साथ पूरे सदन की तरफ से बिहारवासियों सहित देशवासियों को संविधान दिवस की शुभकामनाएँ देता हूँ ।

संबोधन की समाप्ति के उपरांत प्रश्नकाल प्रारंभ होते ही विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शोर-गुल करते हुए वेल में आ गए ।

आसन द्वारा कहा गया कि संविधान दिवस का विरोध करेंगे तो नागरिकता कैसे बचेगी ? इसे बचाने के लिए संविधान का सम्मान करना होगा । साथ ही विपक्ष के माननीय सदस्यों से अपने स्थान पर जाकर अपनी बात कहने का अनुरोध किया गया ताकि आसन उनकी बातों को सुन सके ।

माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग श्री श्रवण कुमार द्वारा कहा गया कि विपक्ष के माननीय सदस्य नियम के अनुसार प्रश्न उठायें तो सरकार उनकी बात सुनेगी ।

किन्तु सदन में शान्ति कायम नहीं हो सकी और सभा की कार्यवाही भोजनावकाश तक के लिए स्थगित हुई ।

भोजनावकाश के बाद

(02.00 बजे अपराह्न से 02.30 बजे अपराह्न तक)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

[2] **सभा मेज पर कागजात का रखा जाना** :-

(i) माननीय उप मुख्य (वित्त) मंत्री, श्री सुशील कुमार मोदी द्वारा बिहार सरकार का 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन ''वित्त लेखे (खंड-1 एवं 2)'' तथा ''विनियोग लेखे'', जिसे बिहार विधान मंडल के समक्ष रखने के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक ने महामहिम राज्यपाल के पास भेजा है, की एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया ।

(ii) माननीय उप मुख्य (वित्त) मंत्री, श्री सुशील कुमार मोदी द्वारा प्रस्ताव किया गया कि "भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन ''वित्त लेखे (खंड-1 एवं 2)'' तथा ''विनियोग लेखे'' को विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात्, उक्त प्रतिवेदनों को लोक लेखा समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो" पर सदन की सहमति हुई ।

(iii) माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग, श्री नन्द किशोर यादव द्वारा बिहार स्टेट रोड डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड का वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया ।

(iv) माननीय मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, श्री बृज किशोर बिन्द द्वारा बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 की प्रति को सभा मेज पर रखा गया ।

(v) याचिका समिति के माननीय सदस्य, डॉ० रामानन्द यादव द्वारा समिति के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, एवं 16वें प्रतिवेदन की एक-एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया ।

[3] **विधायी कार्य** :-

राजकीय विधेयक :-

''बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2019''

माननीय प्रभारी मंत्री, वाणिज्यकर विभाग, श्री सुशील कुमार मोदी द्वारा सदन की अनुमति से विधेयक सदन में पुर:स्थापित हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

माननीय सदस्य श्री रामदेव राय द्वारा विधेयक के सिद्धान्त पर विमर्श का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया ।

माननीय सदस्य श्री रामदेव राय एवं श्री ललित कुमार यादव द्वारा जनमत जानने का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया ।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति उपरान्त माननीय सदस्य श्री रामदेव राय एवं श्री ललित कुमार यादव द्वारा विधेयक के विभिन्न खण्डों में दिये गये किसी भी संशोधन को सदन में प्रस्तुत नहीं किया गया ।

तदुपरान्त सभी खंड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने ।

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया एवं पक्ष रखा गया ।

तदुपरान्त बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2019 सदन से स्वीकृत हुआ ।

''बिहार कराधान विवाद समाधान विधेयक, 2019''

माननीय प्रभारी मंत्री, वाणिज्यकर विभाग, श्री सुशील कुमार मोदी द्वारा सदन की अनुमति से विधेयक सदन में पुर:स्थापित हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

माननीय सदस्य श्री रामदेव राय एवं श्री समीर कुमार महासेठ द्वारा विधेयक के सिद्धान्त पर विमर्श का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया ।

माननीय सदस्य श्री रामदेव राय, श्री समीर कुमार महासेठ एवं श्री ललित कुमार यादव द्वारा जनमत जानने का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया ।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति उपरान्त माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ एवं रामदेव राय द्वारा विधेयक के विभिन्न खण्डों में दिये गये किसी भी संशोधन को सदन में प्रस्तुत नहीं किया गया ।

तदुपरान्त सभी खंड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने ।

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया एवं पक्ष रखा गया ।
तदुपरान्त बिहार कराधान विवाद समाधान विधेयक, 2019 सदन से स्वीकृत हुआ ।

[4] निवेदन :-

आसन से घोषणा की गयी कि आज के लिए स्वीकृत कुल 42 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिये जायेंगे ।

इस दौरान विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शोरगुल करते हुए वेल में आ गए । आसन द्वारा विपक्ष के माननीय सदस्यों से अपने-अपने स्थान पर जाने का अनुरोध किया गया ।

किन्तु सदन में शान्ति कायम नहीं हो सकी और सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक-27 नवम्बर, 2019 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित हुई ।

पटना
दिनांक-26.11.2019

बटेश्वर नाथ पाण्डेय
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।